समाहरणालय, मधेपुरा।

(विधि शाखा)

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 292/गो0, दिनांक 10-05-2012 के द्वारा ग्वालपाड़ा थाना कांड सं0-41/2011 दिनांक 03-09-2011 धारा 147/ 148/ 149/ 307/ 504 भा0दं0वि0 एवं 87 शस्त्र अधिनियम के प्राथमिकी अभियुक्त पवन कुमार यादव पे0 उपेन्द्र प्रसाद यादव, सा0 तिलाठी, थाना ग्वालपाड़ा, जिला मधेपुरा का शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-02/2006 दिनांक 18-01-2006 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा 17(3) के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी पवन कुमार यादव पे0 उपेन्द्र प्रसाद यादव, सा0 तिलाठी, थाना ग्वालपाड़ा, जिला मधेपुरा को कार्यालय ज्ञापांक 1282/गो0, दिनांक 01-06-2012 के द्वारा स्पष्टीकरण साक्ष्य के साथ समर्पित करने का निदेश दिया गया। अनुज्ञप्तिधारी श्री यादव ने दिनांक 12-06-2012 को लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण आवेदन साक्ष्य के साथ दिनांक 13-06-2012 को समर्पित किया है। आवेदन अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी ने स्पष्टीकरण आवेदन में अंकित किया है कि ग्वालपाड़ा थाना कांड सं0-41/2011 के अलावा कोई आपराधिक कांड अंकित नहीं है। इन्होंने स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर पुलिस एक एयरगन बरामदी दिखाई है। इसके अलावा घटना स्थल पर कोई साक्ष्य, मृत कारतूस, किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं की है।

अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से इनके विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल होने के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 31 दिनांक 01-02-2013 से प्राप्त प्रतिवेदन अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त कांड में प्राथमिकी अभियुक्त पवन कुमार यादव के विरूद्ध आरोप पत्र सं0-21/12 दिनांक 30-05-2012 को न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। अनुज्ञप्तिधारी को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 02-07-2013, 16-07-2013, 06-08-2013 एवं 26-09-2013 अर्थात् चार अवसर दिए गए। सुनवाई उपरान्त इन्होंने लिखित रूप में साक्ष्य के साथ आवेदन पत्र पुनः समर्पित किया गया, जिसे अभिलेख में शामिल कर आदेश पर रखा गया।

शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति से एयरगन की बरामदगी होना भी गंभीर मामला है। किसी भी अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति द्वारा एयरगन रखने पर भी, उससे लोगों में इतना ही भय पैदा होता है, जितना एयनगन से। क्योंकि शस्त्र की अनुज्ञप्ति की जानकारी लोगों को रहती है। उन्हें असली एवं नकली शस्त्र का अन्तर समक्ष में नहीं आयेगा। एयरगन भी ग्वालपाड़ा थाना कांड सं0-41/2011 दिनांक 03-09-2011 में जप्त दिखाया गया है। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के प्रतिवेदन से भी इसकी पुष्टि होती है कि अनुज्ञप्तिधारी की सांठ-गांठ, आपराधिक गतिविधि, अपराधिक छविवाले व्यक्तियों से है, जो अपने शस्त्र का गलत उपयोग

कर जान–माल की क्षति, अप्रिय घटना, लोकहित/ शांति व्यवस्था में खतरा उत्पन्न कर सकता है।

अतएव इनके विरूद्ध पुलिस प्रतिवेदन एवं श्री पवन कुमार यादव पे0 उपेन्द्र प्रसाद यादव, सा0 तिलाठी, थाना ग्वालपाड़ा, जिला मधेपुरा से प्राप्त कारण पृच्छा असंतोषप्रद रहने के कारण प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में शस्त्र अधिनियम–1959 की धारा–17(3)(बी) के तहत श्री पवन कुमार यादव के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–02/2006 दिनांक 18–01–2006 को तत्कालिक प्रभाव से रद्द करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं धारा–21(1) के अन्तर्गत श्री पवन कुमार यादव, अनुज्ञप्तिधारी को आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर धारित रायफल सं0–ए0बी0–05–7793 को बिहार गन हाउस, मधेपुरा में तथा मूल अनुज्ञप्ति जिला विधि शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/–
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 453-1 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 26-09-2013

प्रतिलिपि : सभी जिला दंडाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।.

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थाना अध्यक्ष, ग्वालपाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री पवन कुमार यादव पे0 श्री उपेन्द्र प्रसाद यादव, सा0 तिलाठी, थाना ग्वालपाड़ा, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि गन प्राप्ति पश्चात् उसकी सूचना जिला विधि शाखा, मधेपुरा को निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

26/09/13

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।